छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक 203/30/विज्ञापन/2008 रायपुर, दिनांक 15/05/2009

शुद्धि पत्र क्रमांक 02/2009/चयन/दिनांक 15/05/2009

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि – 08/06/2009

छत्तीसगढ़ शासन, **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** के द्वारा **"सहायक प्राध्यापक" (क्लीनिकल)** के 82 पद, **"सहायक प्राध्यापक" (नॉन–क्लीनिकल)** के 47 पद एवं प्रदर्शक के 113 पद पर लोक सेवकों के चयन के लिए प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आयोग द्वारा उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन क्रमांक 11/2008/चयन/दिनांक 27.09.2008 जारी किया गया था, जिसका "रोजगार और नियोजन" के अंक दिनांक 01.10.2008 में प्रकाशन हुआ था। आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किए जाने के पश्चात् विभाग ने विज्ञापित पदों की संख्या में वृद्धि/परिवर्तन, विभिन्न पदों के विज्ञापित शैक्षणिक अर्हताओं में परिवर्तन/स्पष्टीकरण, पदों की संख्या में परिवर्तन के फलस्वरुप अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या में परिवर्तन तथा शासकीय, अर्धशासकीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत या कार्य करने के अनुभव प्राप्त चिकित्सा शिक्षकों को आयु सीमा में एक बार के लिए पांच वर्ष की छूट प्रदान किये जाने हेतु भरती नियमों में किए गए संशोधन की जानकारी देते हुए नीचे अंकित पत्रों के माध्यम से संशोधित प्रस्ताव भेजा है :–

1/ क्रमांक एफ–3–8/2008/9/55 (पार्ट) रायपुर, दिनॉक 08 दिसंबर, 2008

2/ क्रमांक एफ–3–8/2008/9/55 रायपुर, दिनॉक 29 दिसंबर, 2008

3/ क्रमांक एफ–3–8/2008/9/55 रायपुर, दिनॉक 30 /12/ 2008

4/ क्रमांक एफ–3–8/2008/9/55 रायपुर, दिनॉक 31 जनवरी 2009

5/ क्रमांक एफ–3–8/2008/9/55 (पार्ट) रायपुर, दिनॉक 02 फरवरी, 2009

6/ क्रमांक एफ–3–8/2008/9/55 रायपुर, दिनॉक 04 मार्च, 2009

विभाग द्वारा प्रेषित उपर्युक्त पत्रों के परिप्रेक्ष्य में पूर्व के विज्ञापन में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :–

(2) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार प्रेषित प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 11/2008/चयन/दिनांक 27.09.2008, जिसका प्रकाशन रोजगार एवं नियोजन के अंक दिनांक 01.10.2008 में हुआ है, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

सहायक प्राध्यापक (क्लीनिकल विभाग) एवं सहायक प्राध्यापक (नान–क्लीनिकल विभाग) के रिक्त पदों के संबंध में विज्ञापन दिनांक 27.09.2008 की कंडिका–01 में दी गई तालिका के स्थान पर पदों की संख्या एवं वर्गवार आरक्षण निम्नानुसार होगा। यद्यपि प्रदर्शक (Demonstrator) के रिक्त पदों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तथापि उसका विवरण भी नीचे की तालिका में दर्शित है।

स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम	(अ) कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				(ब) (अ) में बताई गई रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित पद				(स) विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद		योग
		अना– रक्षित	अनु– सूचित जाति	अनु– सूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अना– रक्षित	अनु– सूचित जाति	अनु– सूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(A)	**सहायक प्राध्यापक (क्लीनिकल विभाग)**											
1.	मेडिसीन	05	01	02	01	02	–	–	–	–	–	09
2.	पिडियाट्रिक्स / नियोनेटोलाजी	02	01	01	–	–	–	–	–	–	–	04
3.	प्रसूति स्त्री रोग / एन्टीनेटल आफिसर / मेटल चाइल्ड हेल्थ आफिसर	05	02	02	01	02	–	–	–	–	–	10
4.	आर्थोपेडिक	02	01	01	–	–	–	–	–	–	–	04
5.	ई.एन.टी.	02	–	01	–	–	–	–	–	–	–	03
6.	नेत्ररोग	02	–	01	–	–	–	–	–	–	–	03
7.	निश्चेतना	05	02	02	01	02	–	–	–	–	–	10
8.	रेडियोलाजी / रेडियोडायग्नोसिस	02	01	01	01	–	–	–	–	–	–	05
9.	रेडियोथेरेपी	02	01	01	–	–	–	–	–	–	–	04
10.	सर्जरी	05	01	02	01	02	–	–	–	–	–	09
11.	डेंटल	01	–	01	–	–	–	–	–	–	–	02
12.	चर्म	02	–	01	–	–	–	–	–	–	–	03
13.	कार्डियोलॉजी	01	–	01	–	–	–	–	–	–	–	02
14.	न्यूरोलॉजी	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01
15.	नेफ्रोलॉजी	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01
16.	टी.बी.	02	01	01	–	–	–	–	–	–	–	04
17.	साईकेट्रिक	02	–	01	–	–	–	–	–	–	–	03
18.	कार्डियोथोरोसिक	01	–	01	–	–	–	–	–	–	–	02
19.	न्यूरोसर्जरी	01	–	01	–	–	–	–	–	–	–	02
20.	यूरोलॉजी	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01
21.	प्लास्टिक बर्न सर्जरी	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01
22.	पिडियाट्रिक सर्जरी	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01
23.	चिकित्सा भौतिक	02	–	01	–	–	–	–	–	–	–	03
	योग	**49**	**11**	**22**	**05**	**08**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**87**
(B)	**सहायक प्राध्यापक (नॉन–क्लीनिकल विभाग)**											
1.	एनाटॉमी	07	02	02	01	02	–	–	–	–	–	12
2.	बायोकेमेस्ट्री	03	01	01	01	01	–	–	–	–	–	06
3.	पी.एस.एम.	03	01	02	01	01	–	–	–	–	–	07
4.	फारेंसिक मेडिसीन	02	01	01	01	–	–	–	–	–	–	05
5.	माइक्रोबायोलॉजी	02	01	01	01	–	–	–	–	–	–	05
6.	पैथोलॉजी	04	01	02	01	01	–	–	–	–	–	08
7.	फार्मोकलॉजी	03	01	02	01	01	–	–	–	–	–	07
8.	फिजियोलॉजी	03	01	02	01	01	–	–	–	–	–	07
9.	स्टैटिस्टिशयन कम लेक्चरर	02	–	01	–	–	–	–	–	–	–	03
10.	एपेडिमियोलॉजिस्ट कम लेक्चरर	02	–	01	–	–	–	–	–	–	–	03
11.	फार्मास्यूटिकल केमेस्ट्री	01	–	01	–	–	–	–	–	–	–	02
12.	बायोफिजिक्स	02	–	01	–	–	–	–	–	–	–	03
	योग	**34**	**09**	**17**	**08**	**07**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**68**
(C)	**प्रदर्शक (Demonstrator)**											
1.	एनाटॉमी	08	02	03	01	02	–	01	–	–	–	14
2.	फिजियोलॉजी	10	03	03	02	03	01	01	–	–	–	18
3.	बायोकेमेस्ट्री	05	02	02	01	02	–	–	–	–	–	10
4.	फारेंसिक मेडिसीन	04	01	02	01	01	–	–	–	–	–	08
5.	फार्मोकलॉजी	08	03	03	02	02	01	01	–	–	–	16
6.	पैथालॉजी	12	03	05	02	04	01	02	–	–	–	22
7.	कम्यूनिटी मेडिसीन	09	03	03	02	03	01	01	–	–	–	17
8.	माइक्रोबायोलॉजी	04	01	02	01	01	–	–	–	–	–	08
	योग	60	18	23	12	18	04	06	–	06	–	113

क्रमशः

(3) विज्ञापन के कंडिका (B) (घ) के बाद निम्नलिखित टीप जोड़ा जाता है:–
डी.एन.बी. के साथ एक वर्ष रिसर्च का अनुभव को एम.एस./एम.डी. के समतुल्य माना जाएगा।

4.1 सहायक प्राध्यापक (नान क्लीनिकल विभाग) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :–

पद क्रमांक 09 के लिए – M.Sc. (Statistics),
पद क्रमांक 10 के लिए – M.D. (Social & Preventive Medicine)/ M.D. (Community Medicine)
पद क्रमांक 11 के लिए – M.Sc. (Pharmaceutical Chemistry),
पद क्रमांक 12 के लिए – M.D. (Bio-Physics)/M.Sc. (Bio-Physics or Medical Biochemistry) with Ph.D. (Bio-Physics)/M.D. (Physiology) or M.D. (Biochemistry) with one year training in Bio-Physics है।

4.2 सहायक प्राध्यापक (क्लीनिकल/नान क्लीनिकल विभाग) के लिए अनुभव –

आवेदक के पास मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेशन्स 1998 के अनुसार 03 वर्ष का संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में रेसीडेंट/रजिस्ट्रार/डिमांस्ट्रेटर/ट्यूटर के पद पर पढ़ाने का अनुभव होना अनिवार्य है।

(5) आयोग द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन दिनांक 27.09.2008, जिसका रोजगार और नियोजन के अंक दिनांक 001.10.2008 में प्रकाशन हुआ था, की कंडिका 05 में सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उच्चतम आयु सीमा में दी गई छूटें संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। पूर्व प्रसारित विज्ञापन की कंडिका 5.एक(12) के नीचे तथा ''**टीप**'' के ऊपर कंडिका **5.दो** के रुप में निम्नानुसार कंडिका जोड़ा जाता है:–

5.दो :– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिसूचना दिनांक 22.12.2008 के अनुसार "शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत या कार्य करने के अनुभव प्राप्त चिकित्सा शिक्षकों को उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट दी जा सकेगी।"

(6) उपरोक्त बिंदु (5) में उल्लेखित आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को प्रपत्र–चार में दिये प्रारुप में अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के लिए महाविद्यालय के डीन/अर्द्धशासकीय तथा अन्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थिति में संस्था प्रमुख द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। अर्धशासकीय अथवा अन्य चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत या कार्य करने के अनुभव प्राप्त चिकित्सा शिक्षक आवेदकों को आयु में छूट प्राप्त करने के लिए उक्त संस्था के लिए एम.सी.आई. द्वारा संबंधित विषय के लिए मान्यता होने बाबत् प्रमाण पत्र भी अनुभव प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में आयु संबंधी छूट नहीं दी जाएगी। ''**प्रपत्र–चार**'' का प्रारुप इस शुद्धि पत्र के साथ प्रकाशित किया जा रहा है।

(7) आयोग द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन दिनांक 27.09.2008 की कंडिका 17 ''**आवेदन पत्र एवं अन्य बातें**'' के अन्तर्गत कंडिका 17 (अ) में निम्नानुसार उल्लेख था:–

''एक आवेदक से एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं लिए जाएंगे। एक आवेदक से एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनके सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।''

पूर्व विज्ञापन में उल्लेखित उपर्युक्त कंडिका विलोपित किया जाता है।

(8) विज्ञापन की कंडिका (4) (C) (घ) के नीचे तथा (य) आयु सीमा के ऊपर (घ)(i) के रुप में निम्नलिखित जोड़ा जाता है:–

(घ)(i) :– प्रदर्शक (डिमान्स्ट्रेटर) के पद विभिन्न फैकेल्टीज के लिए विज्ञापित है तथा उक्त पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं एम.बी.बी.एस. अथवा संबंधित विषय में एम.एस.सी. (स्नात्कोत्तर) डिग्री है। एम.एस.सी. डिग्रीधारी आवेदक डिमान्स्ट्रेटर पद हेतु संबंधित विषय विशेष हेतु ही आवेदन कर सकेंगे डिमांस्ट्रेटर के पद प्रत्येक विषय हेतु पृथक–पृथक विज्ञापित है, इसलिए यदि एम.बी.बी.एस. डिग्रीधारी डिमान्स्ट्रेटर पद हेतु एक अथवा एक से अधिक विषय के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें प्रत्येक विषय के लिए अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत करने होंगे तथा इस हेतु उन्हें प्रत्येक आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करते हुए पृथक–पृथक लिफाफे में आवेदन पत्र भेजना होगा।

क्रमशः

डिमान्स्ट्रेटर के प्रत्येक विषय के लिए पृथक–पृथक आवेदन निर्धारित शुल्क का बैंकड्राफ्ट सहित प्राप्त न होने पर ऐसे आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।

(9) आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार विज्ञापित पदों के लिए जो आवेदक आवेदन करना चाहते हैं वे **दिनांक 08/06/2009** को कार्यालयीन समय 5.30 बजे तक आयोग कार्यालय में मूल विज्ञापन क्र. 11/2008/चयन दिनांक 27.09.2008 में दिये प्रपत्रों को भरकर आवेदन कर सकते हैं अथवा आयोग के वेब साईट **(www.psc.cg.gov.in)** से आवेदन पत्र का प्रारूप डाउन लोड कर ए–4 साईज पेपर में प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं। उक्त दिनांक के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

(10) आयोग द्वारा प्रसारित इस शुद्धि पत्र में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त पूर्व में प्रसारित विज्ञापन दिनांक 27.09.2008 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

नोटः–प्रकाशित मूल विज्ञापन छत्तीसगढ़ संवाद, छोटा पारा महिला पुलिस थाना के पास, रायपुर–दूरभाष–2236891 से प्राप्त किया जा सकता है।

हस्ता/–
सचिव
छ0ग0 लोक सेवा आयोग,
रायपुर